D:\NEETA.PM5 (56)

Sri Varshney College, Aligarh

Grade 'B' Accredited by NAAC

Principal

कार्यालय नं0: 0571-2404414
मो0 : 9412766285
e-mail : svcaligarh13@gmail.com

दिनांक : 28-11-2026

अति आवश्यक सूचना

कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, अलीगढ़ के पत्रांक : 1101(3)/दि0स0वि0/2026-27 दिनांक 16-11-2026 एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 2026/आई/1379776/2026/65-2022(099)/4/2026 दिनांक 30-06-2026 द्वारा 'स्कूल जाने वाली/शिक्षण-प्रशिक्षण प्राप्त कर रही दिव्यांग छात्राओं को ई-ट्राईसाइकिल दिये जाने हेतु अनुदान नियमावली, 2026' प्रख्यापित की गयी है।

पात्रता : (1) 16 वर्ष या 16 वर्ष से अधिक की दिव्यांग छात्राऐं जो उत्तर प्रदेश की निवासी हों।

2. नियमावली के अन्तर्गत पात्र दिव्यांगजन का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से हो जो मस्क्यूलर डिस्ट्रांफी, स्ट्रोक, सेरेबल पाल्सी, हीमोफिलिया आदि से ग्रसित हो या व्यक्ति उपर्युक्त की भांति शारीरिक स्थिति में हो, उसकी दृष्टि अच्छी हो, मानसिक स्थिति अच्छी हो, कमर के ऊपर का हिस्सा (भाग) स्वस्थ्य हो, संबंधित दिव्यांग छात्रा ई-ट्राइसाइकिल पर बैठकर अपने हाथों से उपकरण का संचालन करने में सक्षम हो व संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उनकी दिव्यांगता प्रमाणित की गयी हो, तो जनपद में प्राप्त आवेदनों की सूची से दिव्यांगता के घटते हुये क्रम में लाभान्वित किया जायेगा ।

3. दिव्यांगजन या उसका परिवार आयकरदाता न हो किन्तु शर्त यह है कि सर्वप्रथम लक्ष्य के सापेक्ष गरीबी रेखा से नीचे के आभार्थियों को संतृप्त किया जायेगा । उनके पश्चात यदि लक्ष्य अवशेष रहता है तो दिव्यांगता के घटते हुए क्रम में तथा आय के बढ़ते हुये क्रम में लाभान्वित किया जायेगा ।

उपरोक्त नियमावली के क्रम में श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय, अलीगढ़ में अध्ययनरत कोई छात्रा पात्रता रखती है तो वह अपना प्रार्थना पत्र के साथ अपने प्रपत्रों को संलग्न करके प्राचार्य कार्यालय में श्री जितेन्द्र मोहन के पास दिनांक 01 दिसम्बर, 2026 तक आवश्यक रूप से जमा करना सुनिश्चित करें ।

संलग्नक : सम्बन्धित पत्र ।

Neelu 28/11/2026

प्राचार्य

श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय, अलीगढ़

Principal
Aligarh

28-11-2026

Prof Roli Ag.
D.S.W. for N.A.
Nuly 17/11/2026

कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, अलीगढ।

संख्या 1101(3)/दि.स.वि./2026-27 दिनांक 16.11.26

प्राचार्य,
श्री वार्ष्णेय डिग्री कालेज, अलीगढ।

विषयः- स्कूल जाने वाली/शिक्षण-प्रशिक्षण प्राप्त कर रही दिव्यांग छात्राओं को "ई-ट्राईसाइकिल" दिये जाने हेतु अनुदान नियमावली, 2026 के अन्तर्गत आवेदन कराने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय, अलीगढ के संलग्न पत्र संख्या 488 दिनांक 21-07-26 का अवलोकन करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 2026/आई/1379776/2026/65-2002(099)/4/2026 दिनांक 30-06-26 द्वारा "स्कूल जाने वाली/शिक्षण-प्रशिक्षण प्राप्त कर रही दिव्यांग छात्राओं को ई-ट्राईसाइकिल दिये जाने हेतु अनुदान नियमावली, 2026" प्रख्यापित की गयी है। नियमावली के मुख्य प्राविधान निम्नवत हैं।

उद्देश्यः- ऐसी स्कूल जाने वाली/शिक्षण-प्रशिक्षण प्राप्त कर रही दिव्यांग छात्रायें जो दैनिक कक्षाओं, लाइब्रेरी, लैब, हॉस्टल आदि में सुगम आवागमन की सुविधा प्राप्त नही कर पाती हैं, उनको ई-ट्राईसाइकिल प्रदान कर उनका शैक्षिक पुनर्वासन करना है।

अनुदान की दरः- अनुदान की अधिकतम धनराशि रु. 65 हजार प्रति ई-ट्राईसाइकिल अनुमन्य होगी।

पात्रताः-1. 16 वर्ष या 16 वर्ष से अधिक की दिव्यांग छात्राऐं जो उत्तर प्रदेश की निवासी हों।

2. नियमावली के अन्तर्गत पात्र दिव्यांगजन का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से हो जो मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेबल पाल्सी, हीमोफिलिया आदि से ग्रसित हो या व्यक्ति उपर्युक्त की भांति शारीरिक स्थिति में हो, उसकी दृष्टि अच्छी हो, मानसिक स्थिति अच्छी हो, कमर के ऊपर का हिस्सा (भाग) स्वस्थ्य हो, सबंधित दिव्यांग छात्रा ई-ट्राइसाइकिल पर बैठकर अपने हाथों से उपकरण का संचालन करने में सक्षम हो व संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उनकी दिव्यांगता प्रमाणित की गयी हो, को जनपद में प्राप्त आवेदनों की सूची से दिव्यांगता के घटते हुए क्रम में लाभान्वित किया जायेगा।

3. दिव्यांगजन या उसका परिवार आयकरदाता न हो किन्तु शर्त यह है कि सर्वप्रथम लक्ष्य के सापेक्ष गरीबी रेखा से नीचे के लाभार्थियों को संतृप्त किया जायेगा। उनके पश्चात यदि लक्ष्य अवशेष रहता है तो दिव्यांगता के घटते हुए क्रम में तथा आय के बढते हुए क्रम में लाभान्वित किया जायेगा।

उपरोक्त नियमावली के क्रम में आपसे अनुरोध है कि आपकी संस्था अध्यनरत पात्र छात्राओं के आवेदन विभागीय पोर्टल https://hwd.uphq.in पर कराने का कष्ट करें जिससे दिव्यांग छात्राओं को ई-ट्राईसाइकिल उपलब्ध करायी जा सके।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

(राहुल पाण्डेय)
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी,
अलीगढ।

संख्या /दि.स.वि./2026-27 दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 उप निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, अलीगढ मण्डल, अलीगढ।
2 मुख्य विकास अधिकारी, अलीगढ।
3 जिलाधिकारी, अलीगढ।
4 निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, लखनऊ।

जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी,
अलीगढ।

कार्यालय जिलाधिकारी, अलीगढ।

संख्या 1188 /दि स वि /2026-27 दिनांक 21/07/2026

1 जिला विद्यालय निरीक्षक, अलीगढ।

2 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अलीगढ।

3 समस्त प्राचार्य / प्रधानाचार्य, शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय, अलीगढ।

विषयः- स्कूल जाने वाली / शिक्षण-प्रशिक्षण प्राप्त कर रही दिव्यांग छात्राओं को "ई-ट्राईसाइकिल" दिये जाने हेतु अनुदान नियमावली, 2026 के अन्तर्गत आवेदन कराने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 2026 / आई / 13/9/70 / 2026 / 05-2002(000) / 1 / 2026 दिनांक 30-06-26 द्वारा "स्कूल जाने वाली / शिक्षण-प्रशिक्षण प्राप्त कर रही दिव्यांग छात्राओं को ई-ट्राईसाइकिल दिये जाने हेतु अनुदान नियमावली, 2026" प्रख्यापित की गयी है। नियमावली के मुख्य प्राविधान निम्नवत हैं।

उद्देश्यः- ऐसी स्कूल जाने वाली / शिक्षण-प्रशिक्षण प्राप्त कर रही दिव्यांग छात्रायें जो दैनिक कक्षाओं, लाइब्रेरी, लैब, हॉस्टल आदि में सुगम आवागमन की सुविधा प्राप्त नहीं कर पाती हैं, उनको ई-ट्राईसाइकिल प्रदान कर उनका शैक्षिक पुनर्वासन करना है।

अनुदान की दरः- अनुदान की अधिकतम धनराशि रु. 65 हजार प्रति ई-ट्राईसाइकिल अनुमन्य होगी।

पात्रताः-1. 16 वर्ष या 16 वर्ष से अधिक की दिव्यांग छात्राऐं जो उत्तर प्रदेश की निवासी हों।

2 नियमावली के अन्तर्गत पात्र दिव्यांगजन का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से हो जो मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेबल पाल्सी, हीमोफिलिया आदि से ग्रसित हो या व्यक्ति उपर्युक्त की भांति शारीरिक स्थिति में हो, उसकी दृष्टि अच्छी हो, मानसिक स्थिति अच्छी हो, कमर के ऊपर का हिस्सा (भाग) स्वस्थ्य हो, संबंधित दिव्यांग छात्रा ई-ट्राइसाइकिल पर बैठकर अपने हाथों से उपकरण का संचालन करने में सक्षम हो व संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उनकी दिव्यांगता प्रमाणित की गयी हो, को जनपद में प्राप्त आवेदनों की सूची से दिव्यांगता के घटते हुए क्रम में लाभान्वित किया जायेगा।

3. दिव्यांगजन या उसका परिवार आयकरदाता न हो किन्तु शर्त यह है कि सर्वप्रथम लक्ष्य के सापेक्ष गरीबी रेखा से नीचे के लाभार्थियों को संतृप्त किया जायेगा। उनके पश्चात यदि लक्ष्य अवशेष रहता है तो दिव्यांगता के घटते हुए क्रम में तथा आय के बढते हुए क्रम में लाभान्वित किया जायेगा।

उपरोक्त नियमावली के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीन संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत पात्र छात्राओं के आवेदन कराना सुनिश्चित करें। योजना से संबंधित किसी भी जानकारी हेतु जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय, विकास भवन अलीगढ (मो.नं. 7500565432) से संपर्क किया जा सकता है।

Digitally signed by
AVINASH KUMAR
Date: 20-07-2026
18:12:06

(अविनाश कुमार)
जिलाधिकारी,
अलीगढ।

संख्या /दि स वि /2026-27 दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 जिला सूचना अधिकारी, अलीगढ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें।

2 जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, अलीगढ।

3 उप निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, अलीगढ मण्डल, अलीगढ।

4 मुख्य विकास अधिकारी, अलीगढ।

5 निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, लखनऊ।

जिलाधिकारी,
अलीगढ।